


**वन स्टॉप सेन्टर गोपालगंज अन्तर्गत रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन**  
**समाहरणालय गोपालगंज**  
**( वन स्टॉप सेन्टर)**  
**विज्ञापन संख्या:- 01/2024**

प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार, पटना के पत्रांक- WCDC/2088/23 दिनांक-26.09.2023 के आलोक में वन स्टॉप सेन्टर गोपालगंज के संचालन हेतु संविदा आधारित रिक्त पदों पर सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं-

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या तथा कोटी					कुल	आयु	मूल मानदेय
		SC	ST	EBC	BC	UR			
1	केस वर्कर (महिलाओं के लिए आरक्षित)	-	-	1	-	-	1	पिछडा वर्ग/अत्यंत पिछडा वर्ग ( महिला) 40 वर्ष	23,000.00
2	मनो-सामाजिक परामर्शी (महिलाओं के लिए(आरक्षित)	-	-	-	-	1	1	अनारक्षित वर्ग (महिला) 40 वर्ष	21,000.00
3	कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक	-	-	-	-	1	1	अनारक्षित वर्ग(पुरुष) 37 वर्ष अनारक्षित वर्ग(महिला) 40 वर्ष	16,000.00
4	पारा मेडिकल पर्सन (अंशकालिक, महिला हेतु आरक्षित)	-	-	-	-	1	1	अनारक्षित वर्ग(महिला) 40 वर्ष	13,500.00
5	बहुउद्देशीय कर्मी/रसोईया	1	-	1	-	-	2	अत्यंत पिछडा वर्ग(पुरुष/महिला) 40 वर्ष अनुसूचित जाति( पुरुष/महिला ) 42 वर्ष	12,000.00
6	सुरक्षा प्रहरी रात्री प्रहरी	1	-	1	-	1	3	अनारक्षित वर्ग(महिला/पुरुष) 40/37 वर्ष अत्यंत पिछडा वर्ग(पुरुष/महिला) 40 वर्ष अनुसूचित जाति( पुरुष/महिला ) 42 वर्ष	13000.00
कुल		2	-	3	-	4	9		


**नोट:-** संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जो बिना किसी पूर्व सूचना के या 15 दिनों के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है। इस संबंध में नियमित नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति का नियोजन के पश्चात सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे न सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार होंगे। उनका नियोजन वन स्टॉप सेन्टर गोपालगंज के अधीन होगा।

वन स्टॉप सेन्टर गोपालगंज अन्तर्गत रिक्त पदों पर नियोजन हेतु विस्तृत जानकारी विवरणी, पात्रता, एवं ऑनलाइन आवेदन का लिंक जिला के वेबसाइट <https://www.gopalganj.nic.in> से प्राप्त किया जा सकता है। विज्ञापन एवं सेवा शर्तों से सम्बंधित सभी अधिकार, जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के अधीन है। जिला पदाधिकारी, गोपालगंज विज्ञापन को संशोधित रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करते हैं। रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदन दिनांक:-28.06.2024 से 15.07.2024 के अपराहन 5:00 बजे तक स्वीकार किया जायेगा।

  
 14.6.24  
 जिला पदाधिकारी,  
 गोपालगंज

1. अभ्यर्थी भारत के नागरिक होंगे।
2. नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा।
3. आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं आवेदकों को मिलेगा जिनके पास बिहार का अधिवास है।
4. उम्र सीमा: संविदा पर नियोजन हेतु उम्र सीमा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को निम्नवत होगी।
 

अनारक्षित वर्ग (पुरुष)	— 37 वर्ष
पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)	— 40 वर्ष
अनारक्षित वर्ग (महिला)	— 40 वर्ष
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	— 42 वर्ष
5. अनुभव की अवधि की गणना एवं उम्र की गणना प्रयोजन के लिए, संदर्भ विज्ञापन की तिथि मान्य होगी।
6. कर्मियों को नियमानुसार मूल मानदेय के अतिरिक्त EPF तथा ESIC देय होगी।
7. संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जो बिना किसी पूर्व सूचना के या 15 दिनों के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है। इस संबंध में नियमित नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति का नियोजन के पश्चात सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे न सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार होंगे। उनका नियोजन वन स्टॉप सेक्टर के अधीन होगा।
8. विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवारों की वांछित शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं साक्षात्कार के आधार पर अंतिम मेधा सूची प्रकाशित होगी।
9. प्रशासनिक पद हेतु यदि अभ्यर्थी कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान रखता है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
10. कार्य अनुभव में सरकारी विभाग/ संस्थान कार्यालय में कार्यानुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
11. सरकारी अर्ध-सरकारी अथवा गैर सरकारी विभाग संस्थान कार्यालय में कार्यानुभव की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
12. चयन प्रक्रिया निर्धारित योग्यता रखनेवाले उम्मीदवारों में मेधा सूची के अनुसार साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु सूचना सम्बंधित अभ्यर्थी को उनके आवेदन में उल्लेखित Email ID एवं जिला के वेबसाइट <https://www.gopalganj.nic.in> पर दी जाएगी। जिला पदाधिकारी कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी से डाक द्वारा किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जायेगा।
13. मानदेय के आधार पर नियोजित कर्मियों न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। मानदेय के आधार पर नियोजित कर्मियों द्वारा सेवा के नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
14. विज्ञापन एवं सेवा शर्तों से सम्बंधित सभी अधिकार, जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के अधीन है। जिला पदाधिकारी, गोपालगंज विज्ञापन को संशोधित रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करते हैं।
15. इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित पद का उल्लेख करते हुए ऑनलाइन आवेदन की तिथि :-28.06.2024 से 15.07.2024 अपराह्न 05 बजे शाम तक अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित लिंक <https://www.gopalganj.nic.in> वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। जिसमें शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र/अंक पत्र तथा अन्य प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन को प्रथम दृष्टया निरस्त कर दिया जाएगा। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। एक से अधिक पदों के लिए अलग-अलग आवेदन मान्य होंगे। किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
16. एक से अधिक पदों के लिए अलग-अलग आवेदन मान्य होंगे।
17. भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे।
18. अभ्यर्थी, ऑनलाइन आवेदन से सम्बंधित लिंक एवं अन्य जानकारी के लिए घोषणाओं हेतु <https://www.gopalganj.nic.in> वेबसाइट का अवलोकन करते रहेंगे।

  
 जिला पदाधिकारी,  
 गोपालगंज

**समाहरणालय गोपालगंज**  
वन स्टॉप सेन्टर,गोपालगज के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन –  
वन स्टॉप सेन्टर (OSC),गोपालगंज  
विज्ञापन संख्या:-01/2024

प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार, पटना के पत्रांक- WCDC/2088/23 दिनांक-26.09.2023 के आलोक में वन स्टॉप सेन्टर,गोपालगज, के संचालन हेतु संविदा आधारित रिक्त पदों पर सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं-

क्र. स.	पद का नाम एवं कार्य दायित्व	शैक्षणिक अहर्ता	कार्य अनुभव तथा प्राथमिकता	पदों की संख्या तथा कोटि	आयु अधिकतम	मूल मानदेय
1	केस वर्कर (महिलाओं के लिए आरक्षित)	कानून/समाजकार्य/समाजशास्त्र / समाज विज्ञान / मनोविज्ञान में स्नातक।	महिलाओं के मुद्दों से सम्बंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना / कार्यक्रम में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव प्राथमिकता:- स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।	01 EBC	40 वर्ष	22,000.00
2	मनो-सामाजिक परामर्शी (महिलाओं के लिए आरक्षित)	मनोविज्ञान / तंत्रिका विज्ञान (न्यूरो साइंस) में स्नातक।	महिला स्वास्थ्य के मुद्दों पर सरकारी या गैर सरकारी परियोजना / कार्यक्रम में जिला स्तर पर कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव।	01 UR	40 वर्ष	22,000.00
3	कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक	कंप्यूटर/ आई.टी में डिप्लोमा सहित स्नातक	डाटा प्रबंधन, दस्तावेजीकरण तथा वेब आधारित रिपोर्टिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि का राज्य या जिला स्तर पर सरकारी या गैर सरकारी/ आई. टी संस्थान में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव।	01 UR	पुरुष -37 वर्ष महिला -40 वर्ष	17,000.00
4	पारा मेडिकल पर्सन (अंशकालिक, महिला हेतु आरक्षित)	पैरामेडिक्स में प्रोफेशनल डिग्री / डिप्लोमा	सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य से सम्बंधित परियोजना/ कार्यक्रम में जिला स्तर पर कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव	01 UR	महिला - 40 वर्ष	8,000 रुपया समेकित
5	बहुउद्देशीय कर्मी/रसोईया	शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक	अनुभव - सम्बंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव	02 01.EBC 01.SC	अत्यंत पिछडा वर्ग (पुरुष/महिला) 40 वर्ष अनुसूचित जाति (पुरुष/महिला) 42 वर्ष	13,000 रुपया समेकित
6	सुरक्षा प्रहरी रात्री प्रहरी	शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक	सुरक्षा प्रहरी के रूप में सरकारी या प्रतिष्ठित संस्थान में राज्य या जिला स्तर पर काम करने का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव प्राथमिकता:-सेना अर्द्ध सैनिक बल से अवकाश प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता	03 01.UR 01.EBC 01. SC	अनाक्षित वर्ग (पुरुष-37 वर्ष/महिला-40 वर्ष) अत्यंत पिछडा वर्ग (पुरुष/महिला) 40 वर्ष अनुसूचित जाति (पुरुष/महिला) 42 वर्ष	13,000 रुपया समेकित

### वन स्टॉप सेंटर के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु दिशा- निर्देश -

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 15 वे वित्त आयोग की अवधि 2021 -22 से 2025-26 तक के लिए, 1 अप्रैल 2022 से समेकित छत्र योजना के रूप में मिशन शक्ति योजना की शुरुआत की गई है। मिशन शक्ति की संबल उपयोजना के तहत राज्य के सभी जिलों में वन स्टॉप सेंटर का संचालन किया जा रहा है। वन स्टॉप सेंटर के तहत प्रावधानित कुल 13 पदों के विरुद्ध जिला में रिक्त पदों पर जिला स्तर से नियोजन किया जायेगा।


स्वीकृत श्रमबलअंतर्गत रिक्त पदों के विरुद्ध नियोजन निम्न प्रक्रिया के तहत की जाएगी :-

- जिला स्तर पर नियोजन प्रक्रिया हेतु सक्षम प्राधिकार जिला पदाधिकारी होंगे।
- विभिन्न पदों पर नियोजन हेतु जिला स्तरीय चयन समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जायेगा -
  - जिला पदाधिकारी या जिला पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी - अध्यक्ष
  - अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग से सम्बंधित पदाधिकारी (जिला पदाधिकारी द्वारा नामित) - सदस्य
  - अल्पसंख्यक वर्ग से से सम्बंधित पदाधिकारी (जिला पदाधिकारी द्वारा नामित) - सदस्य
  - महिला एवं बाल विकास निगम के प्रतिनिधि - सदस्य
  - समाज कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत नामित संरक्षण पदाधिकारी- सदस्य
  - जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई.सी.डी. एस) - सदस्य सचिव
- उम्र सीमा- संविदा पर नियोजन हेतु उम्र सीमा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को निम्नवत होगी -
 

अनारक्षित वर्ग (पुरुष)	37 -वर्ष
पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा (पुरुष एवं महिला)	40- वर्ष
अनारक्षित वर्ग (महिला)	40 -वर्ष
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	42 वर्ष
- अनुभव की अवधि की गणना एवं उम्र की गणना प्रयोजन के लिए, सदर्थ आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि मान्य होगी।
- चयन समिति द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा की, वन स्टॉप सेंटर के प्रशासनिक पद हेतु अभ्यर्थी के पास कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान है।
- नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा।
- मिशन शक्ति की मार्गदर्शिका में वन स्टॉप सेंटर के तहत कुल 13 पद का प्रावधान किया गया है। पूर्व में महिला हेल्पलाइन के जिन कर्मियों का समायोजन वन स्टॉप सेंटर के पदों पर किया गया है, उन पदों की गणना अनारक्षित श्रेणी के पद के रूप में की जाएगी।
- मिशन शक्ति की मार्गदर्शिका में वन स्टॉप सेंटर के तहत कुल 13 पद में से केस वर्कर के 2 पद, बहुउद्देशिये कर्मी /रसोईया तथा रात्रि प्रहरी/ सुरक्षा कर्मी के 3-3 पद है, जबकि अन्य पद एकल पद है। उक्त स्थिति में सिर्फ केस वर्कर, बहुउद्देशिये कर्मी /रसोईया तथा रात्रि प्रहरी/ सुरक्षा कर्मी के पद पर रोस्टर क्लीअरेंस की आवश्यकता है।
- प्रत्येक पद हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव पर अधिकतम 75,%सरकारी विभाग/ संस्थान/ कार्यालय के साथ 2 वर्ष से अधिक का कार्य अनुभव होने पर %5एवं साक्षात्कार हेतु अधिकतम 20 %अंक निर्धारित करते हुए मेधासूची का निर्माण किया जायेगा। पदवार मेधासूची का निर्माण हेतु निर्धारित मापदंड निम्नलिखित है:-

क्र० स०	योग्यता	शैक्षणिक में प्राप्त %	अंक की गणना	अंक
1	प्रासंगिक शैक्षणिक योग्यता	A	(A×60%)	60
2	प्रासंगिक कार्य अनुभव से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव वर्ष के लिए 5 अंक देय होगी, जो अधिकतम 15 अंक होगी।	B	(B×15%)	15
3	साक्षात्कार	-	-	25
	कुल			100

10. आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं आवेदकों को मिलेगा जिनके पास बिहार का अधिवास है।
11. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के शैक्षणिक प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
12. मेधा अंक सामान होने पर जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिक के आधार पर चयनित किया जाएगा।
13. सामान मेधा अंक एवं सामान जन्म तिथि भी एक सामान होने की स्थिति में लौटरी व्यवस्था से निर्णय लिया जाएगा।
14. चयनित अभ्यर्थी द्वारा पुलिस प्राधिकार से निर्गत चरित्र प्रमाणपत्र एवं सरकारी अस्पताल / संस्थान द्वारा निर्गत मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
15. संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जो बिना किसी पूर्व सूचना के या 15 दिन के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है। इस संबंध में नियमित नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति का नियोजन के पश्चात सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे न सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार होंगे। उनका नियोजन जिला वन स्टॉप सेंटर के अधीन होगा।
16. विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवारों की वांछित शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं अंतर्वीक्षा के आधार पर अंतिम मेधा सूची प्रकाशित होगी।
17. कार्य अनुभव में सरकारी विभाग/ संस्थान / कार्यालय में कार्यानुभव रखने वाले अभियार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
18. सरकारी/ अर्ध-सरकारी अथवा गैर - सरकारी विभाग/ संस्थान / कार्यालय में कार्यानुभव की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
19. नियोजन हेतु यथा संभव ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाना चाहिए। अतः उक्त हेतु NIC का या जिला में प्रावधानित व्यवस्था का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।
20. वन स्टॉप सेंटर हेतु बहुउद्देशिये कर्मी /रसोईया तथा रात्रि प्रहरी/ सुरक्षा कर्मी के पदों पर कर्मियों को स्वीकृत स्थानीय सेवा प्रदत्ता एजेसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग के आधार पर लिया जा सकता है।
21. स्वीकृत श्रमबल के विरुद्ध रिक्त पदों पर चयन के लिए कम से कम तीन अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जायेगा, ताकि चयनित कर्मी द्वारा पद त्याग/ निष्कासन की स्थिति में रिक्त पद पर अन्य वरीयता प्राप्त अभ्यर्थी का नियोजन किया जा सके। यह पैनल एक वर्ष की अवधि तक प्रभावी होगा। सक्षम प्राधिकार द्वारा पैनल की अवधि अगले एक वर्ष के लिए विस्तारित की जा सकती है।
22. विहित चयन प्रक्रिया द्वारा चयनित कर्मियों का प्रथम तीन माह परिक्ष्यमान अवधि होगी। इस अवधि में किये गये कार्य की समीक्षा निगम द्वारा की जाएगी, जिसके आधार पर चयनित कर्मी की सेवा संविदा अवधि तक जारी रखने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया जायेगा।
23. चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन के सेवा शर्तों के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकार- सह - नोडल पदाधिकारी, वन स्टॉप सेंटर के साथ एकरारनामा पर हस्ताक्षर करना होगा।

  
 29/9/2023  
 प्रबंध निदेशक



# समाहरणालय गोपालगंज

महिला एवं बाल विकास निगम, गोपालगंज

Email- [dpogopalganjicds@gmail.com](mailto:dpogopalganjicds@gmail.com)



पत्रांक:-.....166...../

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,  
गोपालगंज।

सेवा में,

निदेशक  
सूचना एवं जन संपर्क विभाग  
बिहार, पटना।

प्रोशा0/दिनांक- 26.6.2024

विषय:-

वन स्टॉप सेन्टर, गोपालगंज के संचालन हेतु संविदा आधारित रिक्त पदों पर सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्रों में शुद्धि विज्ञापन विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।

प्रसंग:-

महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार पटना के पत्रांक-WCDC/2088/23दिनांक-26.09.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि वन स्टॉप सेन्टर गोपालगंज के संचालन हेतु संविदा आधारित रिक्त पदों पर दिनांक 22.06.2024 PR-002122(SWD) 2024-25 से विज्ञापन प्रकाशन समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं दैनिक जागरण में किया गया है। जिसमें पुनः सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करने हेतु शुद्धि विज्ञापन प्रकाशन स्थानीय दो प्रिंट मीडिया में निकाला जाना है।

अतः अनुरोध है कि वन स्टॉप सेन्टर गोपालगंज के संचालन हेतु संविदा आधारित रिक्त पदों पर सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्रों में शुद्धि विज्ञापन प्रकाशन स्थानीय दो प्रिंट मीडिया में कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक- यथोक्त

विश्वासभाजन

जिला पदाधिकारी  
गोपालगंज

वन स्टॉप सेन्टर गोपालगंज अन्तर्गत रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन  
समाहरणालय गोपालगंज  
( वन स्टॉप सेन्टर)


शुद्धि विज्ञापन

प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार, पटना के पत्रांक- WCDC/2088/23 दिनांक-26.09.2023 के आलोक में वन स्टॉप सेन्टर गोपालगंज के संचालन हेतु संविदा आधारित रिक्त पदों पर दिनांक 22.06.2024 PR-002122(SWD) 2024-25 से विज्ञापन प्रकाशन किया गया है। जिसमें पुनः सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करने हेतु शुद्धि विज्ञापन प्रकाशन किया जा रहा है जो निम्नवत है-

क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या तथा कोटी					कुल	आयु	मूल मानदेय
		SC	ST	EBC	BC	UR			
1	केस वर्कर (महिलाओं के लिए आरक्षित)	-	-	1	-	-	1	पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग ( महिला ) 40 वर्ष	22,000.00
2	मनो-सामाजिक परामर्शी (महिलाओं के लिए आरक्षित)	-	-	-	-	1	1	अनारक्षित वर्ग (महिला) 40 वर्ष	22,000.00
3	कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक	-	-	-	-	1	1	अनारक्षित वर्ग(पुरुष) 37 वर्ष अनारक्षित वर्ग(महिला) 40 वर्ष	17,000.00
4	पारा मेडिकल पर्सन (अंशकालिक, महिला हेतु आरक्षित)	-	-	-	-	1	1	अनारक्षित वर्ग(महिला) 40-वर्ष	8000.00
5	बहुउद्देशीय कर्मी / रसोईया	1	-	1	-	-	2	अत्यंत पिछड़ा वर्ग(पुरुष / महिला) 40 वर्ष अनुसूचित जाति( पुरुष / महिला ) 42 वर्ष	13,000.00

नोट:- संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जो बिना किसी पूर्व सूचना के या 15 दिनों के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है। इस संबंध में नियमित नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति का नियोजन के पश्चात सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे न सरकारी सेवको के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार होंगे। उनका नियोजन वन स्टॉप सेन्टर गोपालगंज के अधीन होगा।

वन स्टॉप सेन्टर गोपालगंज अन्तर्गत रिक्त पदों पर नियोजन हेतु विस्तृत जानकारी विवरणी, पात्रता, एवं ऑनलाइन आवेदन का लिंक जिला के वेबसाइट <https://www.gopalganj.nic.in> से प्राप्त किया जा सकता है। विज्ञापन एवं सेवा शर्तों से सम्बंधित सभी अधिकार, जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के अधीन है। जिला पदाधिकारी, गोपालगंज विज्ञापन को संशोधित रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करते हैं। रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदन दिनांक:-28.06.2024 से 15.07.2024 के अपराह्न 5:00 बजे तक स्वीकार किया जायेगा।

  
जिला पदाधिकारी,  
गोपालगंज

9/11/23

NIC-E-MAIL

40/5

जिला गोपालगंज

ICDS का नाम

महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार  
(समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार)

10 NOV 2023

समाहरणालय गोपालगंज राय पथ, रोड नं०- 02, आर. ब्लॉक, पटना- 800001

फोन- 0612- 2506078, support.wdc@bihar.gov.in

जिला प्रोग्राम ऑफिसर/सहायक  
पत्र प्राप्ति की तिथि  
जिन्हें पत्र अर्बिट्रेरी  
जाना है उस D.A. का नाम

पत्रांक:- WCDC/2088/23

दिनांक:- 26/09/2023

21028  
10.11.23

315  
21.11.23

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार।

प्रधान सहायक

विषय :- जिला प्रोग्राम ऑफिसर/सहायक

राज्य के सभी जिलों में मिशन शक्ति योजनान्तर्गत अवस्थित वन स्टॉप सेंटर के विभिन्न कोटि के रिक्त पदों पर निर्धारित मानदेय के आधार पर कर्मियों का अनुबंध आधारित नियोजन करने के संबंध में।

प्रसंग :- निगम पत्रांक WCDC/2039/23 दिनांक 19/09/2023, WCDC/2024/23 दिनांक 09/09/2023 तथा WCDC/2050/23 दिनांक 15/09/2023

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की और आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है की राज्य के सभी जिलों में अवस्थित वन स्टॉप सेंटर के विभिन्न कोटि के पदों के मानदेय तथा रिक्त पदों पर नियोजन हेतु आवश्यक अहर्ता मार्गदर्शिका के साथ प्रासंगिक पत्र द्वारा उपलब्ध कराया गया है। संदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रावधानों के अनुरूप वन स्टॉप सेंटर के रिक्त पदों पर नियोजन की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु समय तालिका निम्नवत निर्धारित की गई है-

क्रमांक	गतिविधि	निर्धारित अंतिम तिथि
1	चयन समिति का गठन करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकार (आई.सी. डी.एस) - सह- नोडल पदाधिकारी वन स्टॉप सेंटर, द्वारा उक्त जिला के, वन स्टॉप सेंटर के रिक्त पदों की संख्या प्राप्त किया जाना।	दिनांक 29 सितम्बर 2023 तक
2	उपलब्ध रिक्त पदों की संख्या के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप रोस्टर तैयार करते हुए आरक्षण रोस्टर का अनुमोदन।	दिनांक 6 अक्टूबर 2023 तक
3	जिलावार रिक्त पदों का विज्ञापन जिला स्तर से किया जाना।	दिनांक 12 अक्टूबर 2023 तक
4	प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि।	दिनांक 27 अक्टूबर 2023 तक
5	प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन कर मेधा सूची तैयार किया जाना।	दिनांक 10 नवम्बर 2023 तक
6	मेधा सूची का प्रकाशन करते हुए प्रत्येक रिक्त पदों के विरुद्ध मेधा सूची से उम्मीदवारों का साक्षात्कार हेतु चयन (साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जाएगा, पर न्यूनतम 1:5 अनुपात से कम न हो।	दिनांक 12 नवम्बर 2023 तक
7	आवश्यक दस्तावेजों की जाँच करते हुए साक्षात्कार का आयोजन।	दिनांक 24, 25, 27, 28 नवम्बर 2023 तक
8	रिक्त पदों के विरुद्ध अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के सूची का प्रकाशन एवं नियुक्ति पत्र निर्गत करना।	दिनांक 4 दिसम्बर 2023 तक
9	चयनित अभ्यर्थियों का योगदान प्राप्त करना।	दिनांक 14 दिसंबर 2023 तक




8/5  
47/5

निर्धारित तिथि तक जिला के वन स्टॉप सेंटर के रिक्त पदों पर नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण करने की कृपा करेंगे।  
अनुलग्नक :

1. वन स्टॉप सेंटर के रिक्त पदों के नियोजन हेतु दिशा - निर्देश।
2. वन स्टॉप सेंटर के रिक्त पदों के नियोजन हेतु विज्ञापन प्रारूप।
3. जिला NIC के पोर्टल पर अपलोड करने हेतु नियोजन सम्बन्धी विस्तृत जानकारी।
4. वन स्टॉप सेंटर के रिक्त पदों के नियोजन हेतु आवेदन प्रपत्र।

विश्वासभाजन

  
26/09/2023  
प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक :- WCDC/2088/23


/पटना दिनांक 26/09/2023

प्रतिलिपि :- सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक/ निदेशक/ उपसचिव-सह -स्थापना प्रभारी, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यरत प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यरत प्रेषित।

प्रतिलिपि सभी जिला परियोजना प्रबंधक/प्रभारी जिला परियोजना प्रबंधक/ जिला मिशन समन्वयक, मिशन शक्ति, म. बा. वि. नि, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यरत प्रेषित।

  
26/09/2023  
प्रबंध निदेशक

**वन स्टॉप सेंटर के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु दिशा- निर्देश -**

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 15 वे वित्त आयोग की अवधि-2021 -22 से 2025-26 तक के लिए, 1 अप्रैल 2022 से समेकित छत्र योजना के रूप में मिशन शक्ति योजना की शुरुआत की गई है। मिशन शक्ति की संबल उपयोजना के तहत राज्य के सभी जिलों में वन स्टॉप सेंटर का संचालन किया जा रहा है। वन स्टॉप सेंटर के तहत प्रावधानित कुल 13 पदों के विरुद्ध जिला में रिक्त पदों पर जिला स्तर से नियोजन किया जायेगा।


स्वीकृत श्रमबलअंतर्गत रिक्त पदों के विरुद्ध नियोजन निम्न प्रक्रिया के तहत की जाएगी :-

1. जिला स्तर पर नियोजन प्रक्रिया हेतु सक्षम प्राधिकार जिला पदाधिकारी होंगे।
2. विभिन्न पदों पर नियोजन हेतु जिला स्तरीय चयन समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जायेगा-
  - जिला पदाधिकारी या जिला पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी - अध्यक्ष
  - अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग से सम्बंधित पदाधिकारी (जिला पदाधिकारी द्वारा नामित) - सदस्य
  - अल्पसंख्यक वर्ग से से सम्बंधित पदाधिकारी (जिला पदाधिकारी द्वारा नामित) - सदस्य
  - महिला एवं बाल विकास निगम के प्रतिनिधि - सदस्य
  - समाज कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित घरेलु हिंसा अधिनियम 2005 के तहत नामित संरक्षण पदाधिकारी- सदस्य
  - जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई.सी.डी. एस) - सदस्य सचिव
3. उम्र सीमा- संविदा पर नियोजन हेतु उम्र सीमा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को निम्नवत होगी -
 

अनारक्षित वर्ग (पुरुष)	37 -वर्ष
पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा (पुरुष एवं महिला)	40- वर्ष
अनारक्षित वर्ग (महिला)	40 -वर्ष
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	42 वर्ष
4. अनुभव की अवधि की गणना एवं उम्र की गणना प्रयोजन के लिए, सदर्थ आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि मान्य होगी।
5. चयन समिति द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा की, वन स्टॉप सेंटर के प्रशासनिक पद हेतु अभ्यर्थी के पास कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान है।
6. नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा।
7. मिशन शक्ति की मार्गदर्शिका में वन स्टॉप सेंटर के तहत कुल 13 पद का प्रावधान किया गया है। पूर्व में महिला हेल्पलाइन के जिन कर्मियों का समायोजन वन स्टॉप सेंटर के पदों पर किया गया है, उन पदों की गणना अनारक्षित श्रेणी के पद के रूप में की जाएगी।
8. मिशन शक्ति की मार्गदर्शिका में वन स्टॉप सेंटर के तहत कुल 13 पद में से केस वर्कर के 2 पद, बहुउद्देशिये कर्मी /रसोईया तथा रात्रि प्रहरी/ सुरक्षा कर्मी के 3-3 पद है, जबकि अन्य पद एकल पद है। उक्त स्थिति में सिर्फ केस वर्कर, बहुउद्देशिये कर्मी /रसोईया तथा रात्रि प्रहरी/ सुरक्षा कर्मी के पद पर रोस्टर क्लीअरेंस की आवश्यकता है।
9. प्रत्येक पद हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव पर अधिकतम 75.%,सरकारी विभाग/ संस्थान/ कार्यालय के साथ 2 वर्ष से अधिक का कार्य अनुभव होने पर %5एवं साक्षात्कार हेतु अधिकतम 20 %अंक निर्धारित करते हुए मेधासूची का निर्माण किया जायेगा। पदवार मेधासूची का निर्माण हेतु निर्धारित मापदंड निम्नलिखित है:-

क्र० स०	योग्यता	शैक्षणिक में प्राप्त %	अंक की गणना	अंक
1	प्रासंगिक शैक्षणिक योग्यता	A	(A×60%)	60
2	प्रासंगिक कार्य अनुभव से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव वर्ष के लिए 5 अंक देय होगी, जो अधिकतम 15 अंक होगी।	B	(B×15%)	15
3	साक्षात्कार	-	-	25
	कुल			100

10. आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं आवेदकों को मिलेगा जिनके पास बिहार का अधिवास है।
11. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के शैक्षणिक प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
12. मेधा अंक सामान होने पर जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिक के आधार पर चयनित किया जाएगा।
13. सामान मेधा अंक एवं सामान जन्म तिथि भी एक समान होने की स्थिति में लौटरी व्यवस्था से निर्णय लिया जाएगा।
14. चयनित अभ्यर्थी द्वारा पुलिस प्राधिकार से निर्गत चरित्र प्रमाणपत्र एवं सरकारी अस्पताल / संस्थान द्वारा निर्गत मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
15. संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जो बिना किसी पूर्व सूचना के या 15 दिन के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है। इस संबंध में नियमित नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति का नियोजन के पश्चात सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे न सरकारी सेवको के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार होंगे। उनका नियोजन जिला वन स्टॉप सेंटर के अधीन होगा।
16. विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवारों की वांछित शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं अंतर्वीक्षा के आधार पर अंतिम मेधा सूची प्रकाशित होगी।
17. कार्य अनुभव में सरकारी विभाग/ संस्थान / कार्यालय में कार्यानुभव रखने वाले अभियार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
18. सरकारी/ अर्ध-सरकारी अथवा गैर - सरकारी विभाग/ संस्थान / कार्यालय में कार्यानुभव की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
19. नियोजन हेतु यथा संभव ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाना चाहिए। अतः उक्त हेतु NIC का या जिला में प्रावधानित व्यवस्था का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।
20. वन स्टॉप सेंटर हेतु बहुउद्देशिये कर्मी /रसोईया तथा रात्रि प्रहरी/ सुरक्षा कर्मी के पदों पर कर्मियों को स्वीकृत स्थानीय सेवा प्रदत्ता एजेसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग के आधार पर लिया जा सकता है।
21. स्वीकृत श्रमबल के विरुद्ध रिक्त पदों पर चयन के लिए कम से कम तीन अभ्यर्थियों का पैनेल तैयार किया जायेगा, ताकि चयनित कर्मी द्वारा पद त्याग/ निष्कासन की स्थिति में रिक्त पद पर अन्य वरीयता प्राप्त अभ्यर्थी का नियोजन किया जा सके। यह पैनेल एक वर्ष की अवधि तक प्रभावी होगा। सक्षम प्राधिकार द्वारा पैनेल की अवधि अगले एक वर्ष के लिए विस्तारित की जा सकती है।
22. विहित चयन प्रक्रिया द्वारा चयनित कर्मियों का प्रथम तीन माह परिक्ष्यमान अवधि होगी। इसअवधि में किये गये कार्य की समीक्षा निगम द्वारा की जाएगी, जिसके आधार पर चयनित कर्मी की सेवा संविदा अवधि तक जारी रखने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया जायेगा।
23. चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन के सेवा शर्तों के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकार- सह - नोडल पदाधिकारी, वन स्टॉप सेंटर के साथ एकरारनामा पर हस्ताक्षर करना होगा।

  
 29/9/2023  
 प्रबंध निदेशक



वन स्टॉप सेंटर के रिक्त पदों पर जिला स्तरीय संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रारूप:-



समहरणालय, (जिला का नाम)

(वन स्टॉप सेंटर)

विज्ञापन संख्या - (जिला द्वारा भरा जायेगा)

प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार, पटना के पत्रांक..... दिनांक..... के आलोक में वन स्टॉप सेंटर, (जिला का नाम) के संचालन हेतु संविदा आधारित रिक्त पदों पर सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

(जिला प्रोग्राम पदाधिकारी -सह -नोडल पदाधिकारी, वन स्टॉप सेंटर द्वारा वन स्टॉप सेंटर में उपलब्ध विभिन्न श्रेणी के रिक्त पदों के गणना के अनुसार विज्ञापन में रिक्त पदों की संख्या तथा बिहार सामान्य प्रशासन विभाग के आरक्षण नियमावली के अनुसार रिक्त पदों की कोटि का उल्लेख किया जायेगा।)

क्र. स.	पद का नाम एवं कार्य दायित्व	पदों की संख्या तथा कोटि	आयु	मूल मानदेय (कर्मियों को नियमानुसार मूल मानदेय के अतिरिक्त EPF तथा ESIC देय होगी)
1	केंद्र प्रशासक (महिला हेतु आरक्षित)			30,000 रुपया
2	केस वर्कर (महिलाओं के लिए आरक्षित)			22,000 रुपया
3	मनो-सामाजिक परामर्शी (महिलाओं के लिए आरक्षित)			22,000 रुपया
4	कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यलय सहायक			17,000 रुपया
5	पारा लीगल पर्सनल / अधिवक्ता (अंशकालिक)			8,000 रुपया समेकित, EPF तथा ESIC देय नहीं
6	पारा मेडिकल पर्सन (अंशकालिक, महिला हेतु आरक्षित)			8,000 रुपया समेकित, EPF तथा ESIC देय नहीं

नियोजन हेतु विस्तृत जानकारी तथा आवेदन प्रारूप जिला वेबसाइट \_\_\_\_\_ से प्राप्त किया जा सकता है। रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदन दिनांक \_\_\_\_\_ को अपराह्न 5:00 बजे तक Email ID \_\_\_\_\_ पर स्वीकार किया जायेगा।

जिला पदाधिकारी

(जिला का नाम)

वन स्टॉप सेंटर के रिक्त पदों पर जिला स्तरीय संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रारूप:-

समहरणालय, (जिला का नाम)

(वन स्टॉप सेंटर)

विज्ञापन संख्या - (जिला द्वारा भरा जायेगा)

प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार, पटना के पत्रांक..... दिनांक..... के आलोक में वन स्टॉप सेंटर, (जिला का नाम) के संचालन हेतु संविदा आधारित रिक्त पदों पर सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

(जिला प्रोग्राम पदाधिकारी -सह -नोडल पदाधिकारी, वन स्टॉप सेंटर द्वारा वन स्टॉप सेंटर में उपलब्ध विभिन्न श्रेणी के रिक्त पदों के गणना के अनुसार विज्ञापन में रिक्त पदों तथा रिक्त पदों की संख्या का उल्लेख किया जायेगा।)

क्र. स.	पद का नाम एवं कार्य दायित्व	शैक्षणिक अहर्ता	कार्य अनुभव तथा प्राथमिकता	पदों की संख्या तथा कोटि	आयु	मूल मानदेय
1	केंद्र प्रशासक (महिला हेतु आरक्षित) केंद्र प्रशासक, वन स्टॉप सेंटर की मार्गदर्शिका के अनुरूप वन स्टॉप सेंटर के सुचारु संचालन हेतु उत्तरदाई होंगी।	कानून/समाजकार्य/ समाजशास्त्र/समाज विज्ञान/मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर	महिलाओं के मुद्दों से सम्बंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना/ कार्यक्रम में कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव <b>प्राथमिकता:-</b> महिलाओं के मुद्दों से सम्बंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना/ कार्यक्रम में परामर्शी के रूप में कार्य अनुभव रखने वाले साथ ही स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।	(.....)		30,000 रुपया
2	केस वर्कर (महिलाओं के लिए आरक्षित)	कानून/समाजकार्य/ समाजशास्त्र/समाज विज्ञान/मनोविज्ञान में स्नातक।	महिलाओं के मुद्दों से सम्बंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना/ कार्यक्रम में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव <b>प्राथमिकता:-</b> स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।	(.....)		22,000 रुपया
3	मनो-सामाजिक परामर्शी (महिलाओं के लिए आरक्षित)	मनोविज्ञान/ तंत्रिका विज्ञान (न्यूरो साइंस) में स्नातक।	महिला स्वास्थ्य के मुद्दों पर सरकारी या गैर सरकारी परियोजना/ कार्यक्रम में जिला स्तर पर कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव।	(.....)		22,000 रुपया
4	कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक	कंप्यूटर/ आई.टी में डिप्लोमा	डाटा प्रबंधन, दस्तावेजीकरण तथा वेब आधारित रिपोर्टिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि का राज्य या जिला स्तर पर सरकारी या गैर सरकारी/ आई. टी संस्थान में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव।	(.....)		17,000 रुपया

	पारा लीगल पर्सनल / अधिवक्ता (अंशकालिक)	कानून में स्नातक।	महिलाओ से सम्बंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना/ कार्यक्रम में जिला स्तर पर कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव या न्यायालय में मुकदमे के पैरवी करने का दो वर्ष का अनुभव	(.....)	8,000 रुपया समेकित
6	पारा मेडिकल पर्सन (अंशकालिक, महिला हेतु आरक्षित)	पैरामेडिक्स में प्रोफेशनल डिग्री / डिप्लोमा	सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य से सम्बंधित परियोजना/ कार्यक्रम में जिला स्तर पर कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव	(.....)	8,000 रुपया समेकित

✓ उम्र सीमा - न्यूनतम आयु विज्ञापन प्रकाशन के तिथि को 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र विज्ञापन प्रकाशन के तिथि को 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

- ✓ कर्मियों को नियमानुसार मूल मानदेय के अतिरिक्त EPF तथा ESIC देय होगी, समेकित मानदेय वाले पदों पर EPF तथा ESIC देय नहीं होगी।
- ✓ संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जो बिना किसी पूर्व सूचना के या एक माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है। इस संबंध में नियमित नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति का नियोजन के पश्चात सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे न सरकारी सेवको के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार होंगे। उनका नियोजन जिला वनस्टॉप सेंटर के अधीन होगा।
- ✓ विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवारों की वांछित शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं अंतर्वीक्षा के आधार पर अंतिम मेधा सूची प्रकाशित होगी।
- ✓ कार्य अनुभव में सरकारी विभाग/ संस्थान/ कार्यालय में कार्यानुभव रखने वाले अभियार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- ✓ सरकारी/ अर्ध-सरकारी अथवा गैर - सरकारी विभाग/ संस्थान/ कार्यालय में कार्यानुभव की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
- ✓ चयन प्रक्रिया - निर्धारित योग्यता रखनेवाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु सूचना सम्बंधित अभ्यर्थी को उनके आवेदन में उल्लेखित Email ID एवं जिला के NIC वेबसाइट पर दी जाएगी। जिला पदाधिकारी कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी से डाक द्वारा किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जायेगा।
- ✓ मानदेय के आधार पर नियोजित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवको के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। मानदेय के आधार पर नियोजित कर्मियों द्वारा सेवा के नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- ✓ विज्ञापन एवं सेवा शर्तों से सम्बंधित सभी अधिकार, जिला पदाधिकारी, \_\_\_\_\_ (जिला का नाम) के अधीन है। जिला पदाधिकारी, \_\_\_\_\_ (जिला का नाम) विज्ञापन को संशोधित/ रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करते है।
- ✓ इक्षुक अभ्यर्थी आवेदित पद का उल्लेख करते हुए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दिनांक \_\_\_\_\_ तक अपना आवेदन विहित प्रपत्र में शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र/ अंक पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ संलग्न करते हुए Email \_\_\_\_\_ पर समर्पित करेंगे। प्रमाणपत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन को प्रथम दृष्ट्या निरस्त कर दिया जायेगा। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। एक से अधिक पदों के लिए अलग-अलग आवेदन मान्य होंगे। किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- ✓ भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे।
- ✓ अभ्यर्थी, विज्ञापन से सम्बंधित अपडेट अन्य घोषणाओ हेतु नियमित रूप से NIC के वेबसाइट का अवलोकन करते रहेंगे।

जिला पदाधिकारी  
जिला का नाम